

पंजाब राज्य - अधिनियम**पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900****पंजाब
भारत****पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900****1900 का अधिनियम 2****1 जनवरी 1900 को प्रकाशित
1 जनवरी 1900 को प्रारंभ हुआ***[यह इस दस्तावेज़ का 1 जनवरी 1900 का संस्करण है।]**[नोट: मूल प्रकाशन दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है और इस सामग्री को सत्यापित नहीं किया जा सका।]*

पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900

पंजाब अधिनियम [2, 1900](#)

[पंजाब] के राज्यक्षेत्रों के कुछ भागों के बेहतर परिरक्षण और सुरक्षा का उपबंध करने के लिए एक अधिनियम ['पूर्वी पंजाब' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित (जिसे भारतीय स्वतंत्रता (बंगाल और पंजाब अनुकूलन अधिनियम), आदेश, 1948 द्वारा 'पंजाब' शब्द के स्थान पर सम्मिलित किया गया था) विधियों के अनुकूलन (तृतीय संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा।]

[-] [पंजाब अधिनियम 11, 1942 की धारा 2 द्वारा 'सिवालिक पर्वत श्रृंखला के भीतर या उसके समीप स्थित' शब्दों को हटा दिया गया।]

[-] [प्रस्तावना को *ibid*, धारा 3 द्वारा हटा दिया गया था।]

इसके द्वारा निम्नानुसार अधिनियम बनाया जाता है:-

प्रारंभिक

[1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ](#)

.--(1) इस अधिनियम को पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, 1900 कहा जा सकेगा। [पंजाब अधिनियम, 1944 की धारा 2(क) द्वारा कोष्ठक तथा शब्द '(chos)' का लोप किया गया।]

[\(2\).](#) [इसका विस्तार सम्पूर्ण पंजाब राज्य पर होगा।] [पंजाब अधिनियम संख्या 11, 1942 की धारा 4(क) द्वारा उपधारा (2) अंतःस्थापित]

[\(3\).](#) [यह तुरन्त लागू होगा।] [देखें 1942 का पंजाब अधिनियम 11.]

2. परिभाषा

इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ से भिन्न आशय प्रकट न हो, -

- (ए) "भूमि" पद से किसी ऐसे क्षेत्र के भीतर की भूमि अभिप्रेत है जो इस अधिनियम में उपबंधित रीति से परिरक्षित और संरक्षित है या अन्यथा उससे निपटा जाता है, और इसमें भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और धरती से जुड़ी हुई चीजें या धरती से जुड़ी हुई किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई चीजें शामिल हैं;
- (बी) अभिव्यक्ति "चो" का अर्थ शिवालिक पर्वत श्रृंखला के भीतर या उससे बहने वाली एक धारा या प्रवाह है [पंजाब] ['पूर्वी पंजाब' शब्द के लिए प्रतिस्थापित (जो कि भारतीय स्वतंत्रता (बंगाल और पंजाब अधिनियमों के अनुकूलन) आदेश 1948 द्वारा 'पंजाब' शब्द के लिए डाला गया था) कानूनों के अनुकूलन (तीसरा संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा।]
- (सी) "वृक्ष", "लकड़ी", "वन-उपज" और "मवेशी" पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो भारतीय वन अधिनियम, [1927] की धारा 2 में दिए गए हैं [पंजाब अधिनियम 4, 1944 की धारा 3(ख) द्वारा '1878' अंकों के स्थान पर प्रतिस्थापित। भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), धारा 2 देखें।]
- (डी) "हितबद्ध व्यक्ति" पद के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी उपाय के कारण किए जाने वाले प्रतिकर में कोई हित होने का दावा करते हैं, [-] [पंजाब अधिनियम सं. 4, 1944 की धारा (ग) द्वारा 'और' शब्दों का लोप किया गया।];
- (इ) "उपायुक्त" पद में किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कोई अधिकारी या अधिकारी शामिल हैं;
- (एफ) [अभिव्यक्ति "अधिकारधारक" में निम्नलिखित शामिल हैं - [पंजाब अधिनियम 4, 1944 की धारा 3(घ) द्वारा जोड़ा गया।]
- (मैं) ऐसे व्यक्ति जो किरायेदार या बंधककर्ता न हों तथा जिनके पास भूमि पर या भूमि पर अधिकार हों; तथा
- (ii) वन उपज के संग्रहण या चरागाह या चरागाह के अधिकार रखने वाले व्यक्ति; और
- (जी) "क्षरण" शब्द में वायु या जल की क्रिया द्वारा पृथ्वी, मिट्टी, पत्थरों या अन्य सामग्रियों का हटाया जाना या विस्थापित किया जाना सम्मिलित है।]

क्षेत्रों की अधिसूचना और विनियमन

3. [क्षेत्रों की अधिसूचना। [पंजाब अधिनियम सं. 11, 1942 द्वारा प्रतिस्थापित।]

जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि कटाव के अधीन या कटाव के लिए संभावित किसी क्षेत्र में अधोभूमि जल के संरक्षण या कटाव की रोकथाम के लिए उपबंध करना वांछनीय है, तो ऐसी सरकार अधिसूचना द्वारा तदनुसार निदेश दे सकेगी।

4. अधिसूचित क्षेत्रों में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कुछ मामलों को विनियमित, प्रतिबंधित या निषिद्ध करने की शक्ति

धारा 3 के अधीन सामान्यतः अधिसूचित क्षेत्रों या ऐसे किसी क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अस्थायी रूप से *निम्नलिखित को* विनियमित, निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध कर सकेगी -

- (ए) धारा 3 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन से पहले सामान्यतः खेती के अधीन न आने वाली भूमि को साफ करना, तोड़ना या उस पर खेती करना;
- (बी) ऐसे स्थानों पर पत्थर का उत्खनन या चूना जलाना, जहां धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व ऐसा पत्थर या चूना सामान्यतः उत्खनन या जलाया नहीं गया था;
- (सी) इस उपधारा (ख) में वर्णित के अलावा घास के अलावा किसी भी वन-उपज को, वास्तविक घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए छोड़कर, पेड़ों या इमारती लकड़ी को काटना, या संग्रह करना, हटाना या किसी विनिर्माण-प्रक्रिया के अधीन करना [ऐसे क्षेत्र में अधिकार-धारक का] [पंजाब अधिनियम 1944 की धारा 4(9) द्वारा जोड़ा गया।]
- (डी) पेड़ों, इमारती लकड़ी या वन उपज को आग लगाना;
- (इ) भेड़, [बकरी या ऊँट] का प्रवेश, पालन, चराई या प्रतिधारण [पंजाब अधिनियम 4, 1944 की धारा 4(बी) द्वारा 'या बकरियों' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।]
- (एफ) किसी भी ऐसे क्षेत्र से निकलने वाली वन-उपज की जांच; तथा
- (जी) किसी ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या उसके आसपास स्थित शहरों और गांवों के निवासियों को अपने उपयोग के लिए वहां से कोई वृक्ष, इमारती लकड़ी या वन उपज लेने या भेड़, [बकरी या ऊँट] चराने [पंजाब अधिनियम 4, 1944 की धारा 4(ग) द्वारा 'या बकरियां' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित] या वहां खेती करने या भवन बनाने के लिए परमिट देना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसे परमिटों को प्रस्तुत करना और वापस करना।

5. कुछ मामलों में, विशेष आदेश द्वारा, अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर कुछ अतिरिक्त मामलों को विनियमित, प्रतिबंधित या निषिद्ध करने की शक्ति

.- धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत समाहित किसी विनिर्दिष्ट गांव या गांवों अथवा उसके किसी भाग या भागों के संबंध में, [राज्य] [विधियों के अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा 'प्रांतीय' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।] सरकार, विशेष आदेश द्वारा, अस्थायी रूप से [-] [1926 के पंजाब अधिनियम 7 की धारा 3 द्वारा 'या स्थायी रूप से' शब्दों का लोप किया गया था।] विनियमित, प्रतिबंधित या निषिद्ध कर सकती है -

- (ए) धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व सामान्यतः खेती के अधीन किसी भूमि पर खेती करना;
- (बी) किसी पत्थर का उत्खनन या किसी चूने को ऐसे स्थानों पर जलाना जहां ऐसा पत्थर या चूना धारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन से पूर्व सामान्यतः उत्खनन या जलाया जाता था;
- (सी) इस उपधारा (ख) में वर्णित के अलावा किसी भी वन-उपज को किसी भी प्रयोजन के लिए काटना या एकत्र करना या हटाना या किसी विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन करना [पंजाब अधिनियम 4, 1944 की धारा 4(ग) द्वारा 'और बकरियां' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।] तथा

(डी) [पंजाब अधिनियम 4, 1944 की धारा 4(ग) द्वारा 'और बकरियों' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित] सामान्यतया [बकरियों और ऊँटों], या ऐसे मवेशियों के किसी वर्ग या वर्णन के अलावा अन्य मवेशियों को प्रवेश देना, चराना, या रखना।

5क. [संकर्मों के निष्पादन और उपाय करने की अपेक्षा करने की शक्ति।-धारा 3 के अधीन सामान्यतः अधिसूचित क्षेत्रों या ऐसे किसी क्षेत्र के सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के संबंध में, [राज्य] सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी। [पंजाब अधिनियम सं. 4, 1944 द्वारा सम्मिलित।]

- (ए) खेतों को समतल करना, सीढ़ीनुमा बनाना, जल निकासी और मेड़बंदी करना;
- (बी) खेतों और खड्डों में मिट्टी के कार्यों का निर्माण;
- (सी) तूफानी पानी के लिए नालियों का प्रावधान;
- (डी) हवा या पानी की क्रिया से भूमि की सुरक्षा;
- (इ) धाराओं का प्रशिक्षण; और
- (एफ) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन तथा ऐसे अन्य उपाय करना जो राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।]

6. धारा 4, 5 या 5ए के तहत आदेश में उल्लिखित विनियमन, प्रतिबंध या निषेध की आवश्यकता। आदेश का प्रकाशन

.- धारा 4, 5 या 5-ए के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसमें यह दर्शाया जाएगा कि राज्य सरकार, सम्यक् जांच के पश्चात् संतुष्ट है कि आदेश में अंतर्विष्ट विनियम, प्रतिबंध, निषेध या निर्देश इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

7. विनियमों, प्रतिबंधों और निषेधों की घोषणा और निषिद्ध अधिकारों के लिए मुआवजे के दावों को स्वीकार करना

.--(1) जब किसी क्षेत्र के संबंध में धारा 3 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है, और -

- (ए) ऐसे प्रकाशन पर धारा 4 [या धारा 5-ए1 के तहत किया गया कोई भी सामान्य आदेश ऐसे क्षेत्र पर लागू हो जाता है, या] [1944 के पंजाब अधिनियम 4 की धारा 8 (बी) द्वारा सम्मिलित]
- (बी) [धारा 4, 5 या 5-ए1 के तहत कोई विशेष आदेश ऐसे क्षेत्र के संबंध में किया जाता है, उपायुक्त ऐसे सामान्य या विशेष आदेश के प्रावधानों की सार्वजनिक सूचना दिलवाएगा और यदि ऐसे किसी आदेश के प्रावधान किसी मौजूदा अधिकार के प्रयोग को प्रतिबंधित या निषिद्ध करते हैं, तो वह देश की भाषा में भी प्रकाशित करेगा और प्रत्येक शहर और गांव में, जिसकी सीमाओं में उस क्षेत्र का कोई हिस्सा शामिल है जिसके भीतर या जिसके ऊपर [ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग इस प्रकार प्रतिबंधित या निषिद्ध है] [पंजाब अधिनियम 7, 1926 की धारा 4 द्वारा 'ऐसे किसी अधिकार को इस प्रकार प्रतिबंधित या समाप्त

कर दिया गया है शब्दों के स्थान पर] ऐसे क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या उसके किसी भाग या भागों में ऐसे किसी आदेश द्वारा लगाए गए नियमों, प्रतिबंधों और निषेधों को बताते हुए एक उद्घोषणा करेगा, ऐसी उद्घोषणा की तारीख से कम से कम तीन महीने की अवधि तय करेगा और किसी भी मुआवजे का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा करेगा कि वह किसी भी ऐसे आदेश द्वारा लगाए गए नियमों, प्रतिबंधों और निषेधों का पालन करे। इस प्रकार प्रतिबन्धित या प्रतिषिद्ध किसी अधिकार के सम्बन्ध में, ऐसी अवधि के भीतर या तो ऐसे अधिकारी को लिखित सूचना प्रस्तुत करे या उसके समक्ष उपस्थित होकर ऐसे अधिकार की प्रकृति और सीमा तथा उसके सम्बन्ध में दावा किए गए प्रतिकर (यदि कोई हो) की रकम और विवरण बताए।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई घोषणा में निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत न किया गया कोई दावा अस्वीकृत कर दिया जाएगा:

परन्तु, आयुक्त की पूर्व मंजूरी से, उपायुक्त ऐसे किसी दावे को स्वीकार कर सकेगा, मानो वह ऐसी अवधि के भीतर किया गया हो।

7ए. [कार्य निष्पादित करने के लिए समय निर्धारित करने की शक्ति, आदि। (1) जब धारा 5-ए के तहत आदेश जारी किया गया है, तो डिप्टी कमिश्नर नोटिस द्वारा भूमि के मालिक या अधिभोगी को ऐसे कार्यों को निष्पादित करने या ऐसे उपाय करने की आवश्यकता कर सकता है, जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है। [पंजाब अधिनियम संख्या 4, 1944 द्वारा डाला गया]

(2) प्रत्येक ऐसे नोटिस में वह समय बताया जाएगा जिसके भीतर कार्य निष्पादित किए जाने हैं या उपाय किए जाने हैं।

(3) पूर्वोक्त नोटिस में अंतर्विष्ट किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे नोटिस की तामील से तीस दिन के भीतर या ऐसी दीर्घ अवधि के भीतर, जिसे उपायुक्त इस निमित्त अनुज्ञात करे, अपने आक्षेपों की सूचना उपायुक्त पर ऐसी रीति से तामील कर सकेगा, जैसी इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबन्धित की जाए।

(4) यदि और जहां तक इस धारा के अधीन कोई आपत्ति सूचना में या उसके संबंध में किसी दुर्बलता, दोष या त्रुटि के आधार पर है, तो उपायुक्त आपत्ति को खारिज कर देगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि दुर्बलता, दोष या त्रुटि कोई तात्त्विक नहीं थी।

(5) यदि आपत्ति निम्नलिखित सभी या किसी भी आधार पर लाई गई है, अर्थात:-

(ए) नोटिस विधिपूर्वक भूमि के स्वामी के स्थान पर अधिभोगी को, या अधिभोगी के स्थान पर स्वामी को दिया जा सकता था, और यह न्यायसंगत होता कि नोटिस इस प्रकार दिया जाता;

(बी) कि कोई अन्य व्यक्ति, जो स्वामी, अधिभोगी किरायेदार, कब्जे वाला बंधक, या पट्टेदार, या फार्म धारक हो, या लाभान्वित होने वाली भूमि पर या उस पर कोई अन्य अधिकार रखता हो, उसे किसी भी कार्य को निष्पादित करने या कोई भी आवश्यक उपाय करने के खर्च के लिए योगदान देना चाहिए;

(सी) जहां कार्य या उपाय प्रश्रुगत भूमि और अन्य भूमि के सामान्य लाभ के लिए है, वहां लाभान्वित होने वाली भूमि का स्वामी या अधिभोगी होने के नाते किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य के निष्पादन

या अपेक्षित उपाय करने के व्यय के लिए योगदान देना चाहिए;

आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति की सूचना की एक प्रति निर्दिष्ट प्रत्येक अन्य व्यक्ति पर तामील करेगा और आपत्ति की सुनवाई पर उपायुक्त ऐसा आदेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे, उस व्यक्ति के संबंध में जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाना है या माप लिया जाना है और कार्य या माप की लागत के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अंशदान के संबंध में या उन व्ययों के अनुपात के संबंध में, जो उपधारा (6) के अधीन उपायुक्त द्वारा वसूल किए जा सकते हैं, आपत्तिकर्ता और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा वहन किए जाएंगे:

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को, जिसके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो।

इस उपधारा के अधीन अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय उपायुक्त को ध्यान रखना होगा-

- (ए) स्वामी और अधिभोगी के बीच, किरायेदारी की शर्तों और नियमों के संबंध में, चाहे वे संविदात्मक हों या वैधानिक, तथा अपेक्षित कार्यों और उपायों की प्रकृति के संबंध में; तथा
- (बी) किसी भी अन्य मामले में, संबंधित विभिन्न व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ की सीमा तक।

(6) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन किसी नोटिस या आदेश द्वारा कोई कार्य निष्पादित करने या कोई उपाय करने के लिए अपेक्षित किसी व्यक्ति को ऐसी नोटिस या आदेश का अनुपालन करने से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(7) पूर्वोक्त आपत्ति के अधिकार तथा धारा 18 के अधीन अपील के अधिकार के अधीन रहते हुए, यदि नोटिस द्वारा कार्य निष्पादित करने या उपाय करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति, निर्धारित समय के भीतर कार्य निष्पादित करने या उपदर्शित उपाय करने में असफल रहता है, तो उपायुक्त स्वयं या किसी अभिकर्ता द्वारा कार्य निष्पादित कर सकेगा या उपाय कर सकेगा तथा ऐसा करने में उसके द्वारा उचित रूप से उपगत व्यय उस व्यक्ति से वसूल कर सकेगा :

परन्तु यह आवश्यक नहीं होगा कि उपायुक्त इस उपधारा के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन आपत्ति के अतिरिक्त किसी आपत्ति के विनिश्चय की प्रतीक्षा करें या ऐसी आपत्ति पर किसी विनिश्चय के विरुद्ध अपील की प्रतीक्षा करें;

(8) यदि किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किसी कार्य या उठाए गए किसी उपाय की लागत, उपायुक्त द्वारा इस संबंध में जारी किए गए नोटिस में निर्दिष्ट तिथि या उसके द्वारा निर्धारित किसी अन्य तिथि के पश्चात् उस व्यक्ति द्वारा अदा नहीं की जाती है, जिससे वह देय है, तो ऐसी लागत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी और इस संबंध में उपायुक्त द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र, वसूली योग्य राशि और उसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति का अंतिम और निर्णायक साक्ष्य होगा।

(9) इस धारा के अधीन जारी किया गया प्रत्येक आदेश ऐसी रीति से प्रकाशित किया जाएगा, जैसा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में विहित किया जाए और ऐसे प्रकाशन पर उससे प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति के बारे में, जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाए, यह समझा जाएगा कि उसे उसकी सम्यक् सूचना मिल गई है।

- (10) आपका उपायुक्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपने अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी को इस धारा के अधीन लाई गई किसी आपत्ति की जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा:
- परन्तु ऐसी किसी आपत्ति पर कोई अन्तिम आदेश उपायुक्त द्वारा ही पारित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- (11) इस धारा के अधीन लाई गई आपत्ति पर आदेश लेने में, उपायुक्त ऐसे नियमों द्वारा, यदि कोई हों, निर्देशित होगा जो [राज्य] सरकार इस संबंध में बनाए,
- (12) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संपदा" पद का वही अर्थ होगा जो पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में है।]

चोस के बिस्तरों पर नियंत्रण

8. जब राज्य सरकार यह समझे कि चॉस के बिस्तरों को विनियमित करने के लिए उपाय करना वांछनीय है, तो कार्रवाई। ऐसे बिस्तरों का राज्य सरकार में निहित होना

.- (1) जब कभी राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि यह वांछनीय है कि किसी निर्णय के संबंध में निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपाय किए जाएं-

- (ए) भीतर पानी के प्रवाह को विनियमित करना, और ऐसे बिस्तर के चौड़ीकरण या विस्तार को रोकना, या
- (बी) ऐसे बिस्तर की सीमाओं के भीतर स्थित किसी भी भूमि को पुनः प्राप्त करना या संरक्षित करना;

ऐसी सरकार, या तो उपधारा (2) में उपबंधित रीति से तुरन्त कार्यवाही कर सकेगी, या प्रथमतः, अधिसूचना द्वारा, किए जाने वाले उपायों की प्रकृति और सीमा को तथा वह परिक्षेत्र जिसमें और वह समय जिसके भीतर ऐसे उपाय किए जाने हैं, विनिर्दिष्ट कर सकेगी, तथा ऐसे परिक्षेत्र में स्थित भूमि पर स्वामित्व या अधिभोग अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों से अपेक्षा कर सकेगी कि वे ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपायों को स्वयं तदनुसार कार्यान्वित करें।

- (2) यदि किसी चो का पूरा भाग या उसका कोई भाग दावा रहित हो, या यदि [राज्य] [विधियों के अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा 'प्रांतीय' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित] सरकार की राय में उपधारा (1) के अधीन आवश्यक समझे गए उपाय, विस्तार और लागत के संबंध में इस प्रकार के हैं कि राज्य सरकार का हस्तक्षेप पूर्णतया आवश्यक है, या किसी चो के बिस्तर के किसी भाग का स्वामी या अधिभोगी उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो ऐसी सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि किसी चो के बिस्तर की सीमाओं के भीतर समाहित पूरा क्षेत्र या उसका कोई भाग [राज्य सरकार में निहित हो जाएगा] [विधियों के अनुकूलन (तृतीय संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा 'प्रांत के प्रयोजनों के लिए महामहिम' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित]। [-] [शब्द 'या तो पूर्णतया और सदैव के लिए या' को पंजाब अधिनियम, 1951 द्वारा हटा दिया गया था। 1926, धारा 2.] ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन (यदि कोई हो) जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रभावी होगी:

परन्तु ऐसी कोई घोषणा किसी ऐसी भूमि के सम्बन्ध में नहीं की जाएगी या उस पर प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी ऐसी भूमि के तल की सीमाओं के अन्दर सम्मिलित है, जो ऐसी घोषणा करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को कृषि योग्य है या कृषि योग्य है या जो पर्याप्त मूल्य की कोई उपज देती है।

- (3) जब ऐसे इलाके के मालिक या अधिभोगी ऐसे उपायों को लागू करने के बारे में आपस में सहमत होने में असमर्थ हों, तो अधिक भू-राजस्व का भुगतान करने वालों का निर्णय सभी पर बाध्यकारी माना जाएगा।
- (4) [राज्य] [विधियों के अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा 'प्रांतीय' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित] सरकार, समय-समय पर, समान अधिसूचना द्वारा, उस अवधि को बढ़ा सकेगी जिसके दौरान कोई ऐसा क्षेत्र [राज्य सरकार] [विधियों के अनुकूलन (तीसरा संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा 'महामहिम' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित] में निहित रहेगा।

9. धारा 8 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र में निजी अधिकारों को निलंबित या समाप्त करने की अधिसूचना का प्रभाव

धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा किए जाने पर, ऐसी घोषणा वाली अधिसूचना के प्रकाशन के समय उसमें विनिर्दिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट किसी भूमि में या उससे संबंधित किसी भी प्रकार के सभी निजी अधिकार, [घोषणा में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए और ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए (यदि कोई हो) जिसके लिए ऐसी अवधि को किसी भी समय बढ़ाया जा सके, निलंबित कर दिए जाएंगे] [पंजाब अधिनियम संख्या 8, 1926 की धारा 3 द्वारा पुराने खंड (क) और (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित]।

परन्तु जहां तक परिस्थितियां अनुमति दें, ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में मार्ग और जल के ऐसे अधिकार आरक्षित रहेंगे जो उन व्यक्तियों (यदि कोई हों) की उचित आवश्यकताओं और सुविधाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हों, जिनके पास ऐसी घोषणा करते समय ऐसे क्षेत्र पर ऐसे अधिकार थे।

10. उप आयुक्त की शयन-गृह का सीमांकन करने तथा यह निर्णय करने की शक्ति कि शयन-गृह क्या है। शयन-गृह का कब्जा लेने की शक्ति, जब राज्य सरकार में निहित हो।

1) उपायुक्त, धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, उस क्षेत्र की सीमाएं नियत करेगा जो उस क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिस पर ऐसी अधिसूचना लागू होगी।

- (2) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन किसी घोषणा वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर, उपायुक्त के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह -

- (ए) ऐसी घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्र का कब्जा लेना;
- (बी) वहां से सभी व्यक्तियों को बाहर निकाल देना; और
- (सी) ऐसे क्षेत्र से तब तक व्यवहार नहीं करेगा, जब तक वह [राज्य सरकार] में निहित रहता है, [विधियों के अनुकूलन (तृतीय संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा 'महामहिम' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित], मानो वह [राज्य सरकार] की पूर्ण संपत्ति हो। [विधियों के अनुकूलन (तृतीय संशोधन) आदेश, 1951 द्वारा 'महामहिम' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित]।

11. धारा 8, 9 या 10 के अंतर्गत किए गए कार्यों के लिए मुआवजे पर रोक

- कोई भी व्यक्ति धारा 8, धारा 9 या धारा 10 द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए सद्भावपूर्वक किसी भी समय किए गए किसी कार्य के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

12. अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि की बिक्री के संबंध में शर्तें तथा ऐसी भूमि पर व्यय की गई धनराशि का लेखा रखने के लिए स्थानीय सरकार का दायित्व।

- 1926 के अधिनियम VIII की धारा 4 द्वारा निरसित।

अधिसूचित क्षेत्रों और बिस्तरों में प्रवेश करने और सीमांकन करने की शक्ति

13. धारा 3 या धारा 8 के अधीन अधिसूचित स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश करने, सर्वेक्षण करने और सीमांकन करने की शक्ति

.-उपायुक्त और उसके अधीनस्थ अधिकारियों, सेवकों, देखभाल करने वालों और कर्मचारियों के लिए समय-समय पर, आवश्यकतानुसार यह वैध होगा कि,-

(ए) किसी भी [-] [1944 के पंजाब अधिनियम 4 की धारा 10(क) द्वारा 'स्थानीय' शब्द का लोप किया गया।] क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किसी भी भूमि में प्रवेश करना और उसका सर्वेक्षण करना जिसके संबंध में धारा 3 या धारा 8 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है [या जिसके संबंध में धारा 5-क के अधीन अधिसूचना जारी किए जाने का प्रस्ताव है] [1944 के पंजाब अधिनियम 4 की धारा 10(ख) द्वारा अंतःस्थापित]

(बी) किसी ऐसे क्षेत्र पर बेंच-मार्क स्थापित करना तथा उसकी सीमाओं का सीमांकन और सीमांकन करना ; तथा

(सी) अन्य सभी कार्य और बातें करना जो किसी भूमि को पर्याप्त रूप से संरक्षित या सुरक्षित रखने के लिए या इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं:

बशर्ते कि इस धारा के प्रावधानों के तहत किसी भी कार्य को करने में किसी व्यक्ति की संपत्ति या अधिकारों को हुए किसी नुकसान या चोट के संबंध में उचित मुआवजा, इस अधिनियम में प्रदान की गई विधि के अनुसार निर्धारित और निर्धारित किया जाएगा, लेकिन धारा 8 के तहत अधिसूचित किसी भी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर उक्त प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी कार्य के लिए ऐसा कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

दावों की जांच और मुआवजे का निर्णय

14. दावों और उन पर दिए गए पुरस्कारों की जांच

.- (1) उपायुक्त -

(ए) धारा 7 के अधीन किए गए सभी दावों की जांच के लिए तारीख नियत कर सकेगा। [-] ['या धारा 12' शब्दों को 1926 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 5 द्वारा हटा दिया गया था।] और वह अपने विवेकानुसार, समय-समय पर, जांच को उसके द्वारा नियत की जाने वाली तारीख तक स्थगित कर सकेगा;

(बी) धारा 7 के अधीन किए गए सभी कथनों को लिखित रूप में दर्ज करना;

(सी) धारा 7 के अधीन सम्यक रूप से प्रस्तुत सभी दावों की जांच करना। [-] ['या धारा 12' शब्द 1926 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 5 द्वारा हटा दिए गए थे।] तथा

- (डी) प्रत्येक ऐसे दावे पर पंचाट बना सकेगा, जिसमें दावा किए गए अधिकार की प्रकृति और सीमा, ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति या व्यक्ति, वह सीमा (यदि कोई हो) जिस तक, और वह व्यक्ति या व्यक्ति जिनके पक्ष में दावा किया गया अधिकार स्थापित है, वह सीमा जिस तक उसे प्रतिबंधित या [प्रतिषिद्ध] किया जाना है [1926 के अधिनियम 8 की धारा 5 द्वारा 'समाप्त' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित] और दिए गए प्रतिकर की प्रकृति और रकम (यदि कोई हो) बताई जाएगी।
- (2) प्रत्येक ऐसी जांच के प्रयोजनों के लिए उपायुक्त धारा 14 के अधीन वादों के विचारण में सिविल न्यायालय की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। [सिविल प्रक्रिया संहिता (1882 का XIV)] [अब देखिये सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम 5)।]
- (3) उपायुक्त अपने पंचाट की घोषणा ऐसे हितबद्ध व्यक्तियों या उनके प्रतिनिधियों को करेगा जो उपस्थित हों, तथा उसे स्वीकार करने वालों की स्वीकृति दर्ज करेगा। जो उपस्थित नहीं हैं, उन्हें उपायुक्त अपने पंचाट की तुरन्त सूचना दिलवाएगा।

15. मुआवजा देने की विधि और ऐसे पुरस्कार का प्रभाव

.- (1) मुआवजे की रकम का निर्धारण करने में उपायुक्त, जहां तक संभव हो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23 और 24 के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होगा, और उन मामलों के बारे में जो उन प्रावधानों के तहत निपटाए नहीं जा सकते हैं, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में क्या न्यायसंगत और उचित है।

- (2) उपायुक्त, राज्य सरकार की मंजूरी और हकदार व्यक्ति की सहमति से, धन के स्थान पर भूमि में या राजस्व में कटौती करके या किसी अन्य रूप में प्रतिकर दे सकेगा /
- (3) यदि किसी मामले में किसी अधिकार का प्रयोग केवल कुछ समय के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, तो मुआवजा केवल उस अवधि के लिए दिया जाएगा जिसके दौरान ऐसे अधिकार का प्रयोग प्रतिबंधित था।
- (4) 1926 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 6 द्वारा निरसित।

प्रक्रिया, रिकॉर्ड और अपील

16. अधिसूचित क्षेत्र के संबंध में अधिकारों का अभिलेख

.- (1) धारा 3 या धारा 8 के अधीन अधिसूचित प्रत्येक क्षेत्र के लिए, उपायुक्त धारा 4 और धारा 5 में वर्णित सभी अधिकारों की प्रकृति, वर्णन, स्थानीय स्थिति और विस्तार को दर्शाते हुए एक अभिलेख तैयार करेगा -

- (ए) धारा 3 या धारा 8 के अधीन उससे संबंधित अधिसूचना के प्रकाशन के समय ऐसे क्षेत्र में विद्यमान हो;
- (बी) विनियमित, प्रतिबंधित, [-] [शब्द 'निलंबित' को पंजाब अधिनियम, 1926 के 8 की धारा 7 द्वारा हटा दिया गया था] या [प्रतिषिद्ध] [शब्द 'समाप्त' के लिए अधिनियम 1926 के 8 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित] धारा 4 या धारा 5 के तहत किसी भी आदेश द्वारा।
- (2) जब धारा 14 के अधीन कोई पंचाट दिया जाता है तो किसी अधिकार पर उसका प्रभाव भी उसमें अभिलिखित किया जाएगा।

17. अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचनाएं घोषित करने तथा नोटिस, आदेश और आदेशिकाओं का अनुपालन करने की रीति।

- (1) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन जारी की गई अधिसूचना के प्रकाशन पर, उपायुक्त उसके सार की सार्वजनिक सूचना उस क्षेत्र में सुविधाजनक स्थानों पर देगा जिससे ऐसी अधिसूचना संबंधित है।
- (2) इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में, जहां तक संभव हो, पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का XVIII) की धारा 20, 21 और 22 में निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

18. अपील, समीक्षा और संशोधन

इस अधिनियम के अधीन उपायुक्त द्वारा पारित प्रत्येक आदेश और दिया गया पंचाट, अपील, समीक्षा और पुनरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, क्रमशः पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 की धारा 13, 14, 15 और 16 के अर्थान्तर्गत कलेक्टर का आदेश समझा जाएगा।

परन्तु इस अधिनियम की कोई बात किसी सिविल न्यायालय को किसी प्रतिकर में हितबद्ध व्यक्तियों के बीच उसके ऐसे व्यक्तियों या उनमें से किसी के बीच प्रभाजन या वितरण के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी विवाद का निर्णय करने की अधिकारिता से वंचित नहीं समझी जाएगी।

दंड, मुकदमों पर रोक और नियम

19. अपराधों के लिए दंड

.- कोई भी व्यक्ति, जो धारा 3 के तहत अधिसूचित किसी भी [-] [शब्द 'स्थानीय' को पंजाब अधिनियम 4, 1944, धारा 11 (ए) द्वारा छोड़ दिया गया] क्षेत्र की सीमाओं के भीतर, बनाए गए किसी भी विनियमन का कोई भी उल्लंघन करता है, [धारा 4, 5, 5 ए या 7-ए के तहत लगाए गए प्रतिबंध या निषेध, पारित आदेश या अपेक्षा] [पंजाब अधिनियम 4, 1944, धारा 11 (बी) द्वारा धारा 4 या धारा 5 के तहत लगाए गए प्रतिबंध या निषेध शब्दों के लिए प्रतिस्थापित] [या धारा 13 के तहत किए गए कार्यों या चीजों के निष्पादन में किसी भी तरह से बाधा डालता है या प्रतिरोध करता है] [पंजाब अधिनियम 7, 1950, धारा 2 द्वारा डाला गया] एक महीने तक की अवधि के लिए कारावास के साथ दंडित किया जाएगा, या एक सौ रुपये तक का जुर्माना, या दोनों के साथ।

20. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों का अनुप्रयोग

. - [भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 (अंतिम वाक्य को छोड़कर), 66, 67, 68 और 73 के प्रावधान] [पंजाब अधिनियम 4, 1944 की धारा 12 द्वारा 'भारतीय वन अधिनियम, 1878 की धारा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63 (अंतिम वाक्य को छोड़कर), 64, 65, 66, 67 और 72 के प्रावधान' के लिए प्रतिस्थापित] जहां तक लागू हो, इस अधिनियम के हिस्से के रूप में पढ़ा जाएगा, और उन प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, धारा 19 के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध को "वन अपराध" माना जाएगा और किसी भी वन के प्रबंधन में नियोजित प्रत्येक अधिकारी को वन अधिनियम, 1878 की धारा 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63 (अंतिम वाक्य को छोड़कर), 64, 65, 66, 67 और 72 के प्रावधान' के लिए प्रतिस्थापित। धारा 3 या धारा 8 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र में कार्य करने वाला वन अधिकारी समझा जाएगा।

21. सूट का बार

इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात के लिए कोई वाद सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जा सकेगा और इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की गई तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध भी कोई वाद नहीं लाया जा सकेगा।

22. नियम बनाने की शक्ति

.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुरूप निम्नलिखित नियम बना सकेगी, -

- (ए) इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनियमित करना: तथा
 - (बी) सामान्यतः इस अधिनियम के सभी या किसी भी उपबंध को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ।
- (2) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम [आधिकारिक राजपत्र] में प्रकाशित किए जाएंगे। [भारत सरकार (भारतीय विधियों का अनुकूलन), आदेश, 1937 द्वारा 'राजपत्र' शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित।]